भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1996

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

हिन्दी भाषा में विज्ञापन पर व्यय

†1996 डा. सत्यनारायण जटिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राजभाषा हिन्दी के लिए विज्ञापन की विभिन्न विधाओं हेतु 'क','ख' और 'ग' क्षेत्रों के लिए कुल व्यय की कितनी-कितनी प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है; और

(ख) राजभाषा अधिनियम तथा इसके अंतर्गत जारी निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निरीक्षण हेतु क्या पद्धति विद्यमान हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) इस संबंध में संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के 8 वें खण्ड की सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिन्दी तथा अंगेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें। 'क' 'ख' और 'ग' भाषायी क्षेत्रवार प्रतिशत तय करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

(ख) राजभाषा अधिनियम तथा इसके अंतर्गत जारी निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निरीक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

(i) राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ii) प्रत्येक तिमाही के अंत में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें मंगाई जातीं हैं और उसकी समीक्षा की जाती है।

(iii) वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में हुई उपलब्धियां वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में संसद के दोनो पटलों पर रखी जाती हैं।

(iv) विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान व केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से केन्द्र सरकार के कार्मिकों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपिक, अनुवाद व कंप्यूटर पर दिन्दी के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है।

(v) केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं।

(vi) नगर स्तर पर केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं।

(vii) आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियां गठित हैं।

(viii) राजभाषा विभाग के आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में तैनात अधिकारी राजभाषायी निरीक्षण आदि करके राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करवाते हैं।

(ix) सरकार की राजभाषा नीति, प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव पर आधारित है। इसलिए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग की तरफ से भारत सरकार के कार्यालयों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं।